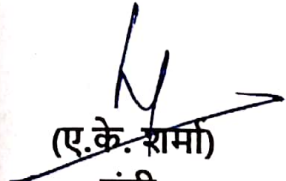


विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री किरण पाल कश्यप, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
3 (क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि कानपुर नगर निगम, कानपुर नगर के अन्तर्गत छबीले पुरवा विद्युत स्टेशन जाजमऊ से संजय नगर होते हुए 100 फीट /60 फीट रोड पर अतिक्रमण किया गया है ?	नगर निगम, कानपुर द्वारा नई चुंगी चौराहा से छबीले पुरवा विद्युत स्टेशन जाजमऊ तक 100 फीट /60 फीट रोड तक कुल 1.62 किमी० की लम्बाई में समय-समय पर वृहद अतिक्रमण अभियान चलाकर चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। छबीले पुरवा से सरैया मोड़ तक वृहद अतिक्रमण अभियान चलाकर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त सड़क के चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण व ग्रीन बेल्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। नई चुंगी चौराहे से संजय नगर तिराहा होते हुए 100 फीट /60 फीट सड़क के चौड़ीकरण का सम्बन्ध लोक निर्माण विभाग से है। उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग पर वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा 1.300 किमी. लम्बाई में चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। मार्ग के ROW तक नाली/डक्ट का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं हटाया जा रहा है।
(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रकरण पर कानपुर नगर निगम द्वारा कार्यवाही करायी जायेगी?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।


 (ए.के. शर्मा)
 मंत्री,
 नगर विकास विभाग।